



2026:AHC:63591

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 9896 वर्ष 2026

जाहिद कुरैशी एवं 4 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद जुबैर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सद्दाम हुसैन द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद जुबैर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सद्दाम हुसैन, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वाद संख्या 10629 वर्ष 2024 (राज्य बनाम जाहिद कुरैशी एवं अन्य), जो केस क्राइम संख्या 132 वर्ष 2024, धारा 498-A, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, 1961, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड से उत्पन्न हुआ है, तथा आरोप-पत्र संख्या 176 वर्ष 2024 दिनांक 06.05.2024, धारा 498-A, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 डी.पी. एक्ट के अंतर्गत, तथा संज्ञान आदेश दिनांक 21.06.2024 एवं समन आदेश दिनांक 21.06.2024, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद हापुड द्वारा पारित किए गए हैं तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद हापुड के न्यायालय में लंबित हैं, को निरस्त किया जाए, क्योंकि दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 03.04.2024 को समझौता निष्पादित किया जा चुका है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकगण एवं विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मध्य विवाद का निस्तारण समझौते के माध्यम से कर लिया गया है, जिसका सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 22.01.2026 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है।
5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान विवाद आवेदकों एवं विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मध्य वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, किसी दबाव, धमकी या प्रलोभन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अधीन नहीं, तथा वे संबंधित न्यायालय में लंबित प्रकरण को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं, अतः पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर विवादित कार्यवाही को निरस्त किया जाए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे प्रति-शपथपत्र तथा प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करना प्रस्तावित नहीं करते हैं।

6. विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया तथा कहा कि यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित विवादित कार्यवाही को निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सत्यता का खंडन नहीं किया।
8. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद को निरस्त किए जाने के संबंध में विधि पूर्णतः स्थापित है।
9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2003) 4 SCC 675 मामले में दिए गए फैसले के आलोक में, यह माना गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति है; विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, जहाँ पक्षों के बीच कोई वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जिसमें समझौता योग्य अपराधों की सूची दी गई है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती है; और इस शक्ति का प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वे अपराध अन्यथा समझौता-अयोग्य श्रेणी के हों।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2012)10 SCC 303 मामले में अपने संवैधानिक पीठ के फैसले में यह माना है कि:- "परंतु, जिन आपराधिक मामलों में मुख्य रूप से और बड़े पैमाने पर दीवानी प्रकृति का प्रभाव होता है, उन्हें रद्द करने के मामले में एक अलग श्रेणी में रखा जाता है; विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के अन्य लेन-देन से उत्पन्न होते हैं, या वे अपराध जो वैवाहिक मामलों (जैसे दहेज आदि) से जुड़े होते हैं, अथवा वे पारिवारिक विवाद जिनमें किया गया अपराध मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और संबंधित पक्षों ने अपने पूरे विवाद को आपस में सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है, यदि उसकी राय में—अपराधी और पीड़ित के बीच हुए समझौते के कारण—दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम या नगण्य रह गई हो; और यदि आपराधिक मामला जारी रखने से आरोपी को अत्यधिक उत्पीड़न और हानि का सामना करना पड़े, तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और अंतिम समझौता हो जाने के बावजूद भी, आपराधिक मामले को रद्द न करने से आरोपी के साथ घोर अन्याय होने की आशंका हो।"
11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य, (2017) 9 SCC 641 मामले में, अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार, "समझौते के आधार पर, उन मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है जिनमें समझौता संभव नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होता, ताकि न्यायालय का कीमती समय बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।"

12. पक्षकारों ने आपस में लंबित कार्यवाही को संबंधित न्यायालय से वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों के अवलोकन तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि के अनुसार, वर्तमान प्रकरण समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने हेतु न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रकरण है।

13. विवाद पूर्णतः वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे पक्षकारों द्वारा आपसी संतोष के साथ सुलझा लिया गया है, अतः अभियोजन को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

14. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर वर्तमान निरस्तीकरण आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसारवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, **आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 11642 वर्ष 2019, दिनांक 02.09.2025** में निर्धारित मानकों के अंतर्गत आता है।

15. समझौता सत्यापन दिनांक 22.01.2026 के अनुसार, वाद संख्या 10629 वर्ष 2024 (राज्य बनाम जाहिद कुरैशी एवं अन्य), जो केस क्राइम संख्या 132 वर्ष 2024, धारा 498-A, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, 1961, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड से उत्पन्न हुआ है, की कार्यवाही निरस्त की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

दिनांक : 26 मार्च, 2026

पुष्पेन्द्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।